



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 1987/माघ 15, 1908

No. 48]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 1987/MAGHA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जल्द संकलन में रूपांतरित हो सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1987

अधिसूचना

का. प्रा. 54(प्र) "त्रिपुरा/ट्राइबल नेशनल वालन्टियर्स" (जिसे इनमें इसमें पश्चात् टी.एन.बी. कहा गया है) नामक संगठन—

(i) जिसने एक "स्वतंत्र त्रिपुरा" की अन्तर्गत त्रिपुरा राज्य समाविष्ट है स्थापना के अपने उद्देश्य की उद्घोषणा की है और वह उक्त राज्य को भारत संघ से अलग करने के उक्त उद्देश्य पर अड़ा हुआ है;

(ii) वह पूर्वोक्त उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अपने सदस्यों की सुरक्षा बलों और गैर-सरकारी पर आक्रमण करने में तथा त्रिपुरा राज्य में विदेशी जागरणों को उत्पन्न करने में, सिविलियन आबादी को नुकसान और उसे अस्मित करने के कार्यों में लगाने के तथा अपने संगठन के लिए व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए और विभिन्न एकत्र करने के लिए नियोजन कर रहा है;

(iii) इस संगठन, ने अपने पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विदेशों के साथ संबंध स्थापित किया है और आयुधों और प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्राप्त की है;

(iv) जिसने अपने हिंसक क्रियाकलापों द्वारा, विशेषतया जिनका उद्देश्य स्वशासी जिला परिषद क्षेत्रों में जिनमें जनजातियाँ प्रधानता में बसी हुई हैं, जनजातियों में भिन्न व्यक्तियों की हत्या करना है, त्रिपुरा में जनजातियों और जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों के बीच जातीय संकट उत्पन्न करने का प्रयास किया है;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से, टी.एन.बी. एक विधि विरुद्ध संगम है;

और केंद्रीय सरकार की यह भी राय है कि उसके लगातार क्रिया-कलापों, जो राष्ट्रविरोधी, अस्मात्मक और राजद्रोहात्मक प्रकृति के हैं, पुलिस बलों पर पूर्वोक्त टी.एन.बी. के संगम समूहों द्वारा आक्रमणों और जातीय संकट उत्पन्न करने की दृष्टि से जनजातियों में भिन्न व्यक्तियों की हत्या करने के कारण, तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है और अखण्ड टी.एन.बी. का तात्कालिक प्रभाव में विधि विरुद्ध घोषित किया जाना आवश्यक है;

अतः केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा/ट्राइबल नेशनल वालन्टियर्स को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और, उक्त धारा की उपधारा (3) के परन्तु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि यह अधिसूचना ऐसे किसी प्रदेश के अधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन निकाला जाए, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[स. 9/5/85-एन.ई. 1]

आर. वासुदेवन, सचिव (एन.ई.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th February, 1987

NOTIFICATION

S.O. 54(E).—Whereas the organisation known as the 'Tripura/Tribal National Volunteers' (hereinafter referred to as the TNV)—

- (i) which has proclaimed as its objective the establishment of an 'independent Tripura' comprising the State of Tripura and continue to maintain the said objective of bringing about secession of the said State from the Union of India;
- (ii) which in furtherance of the aforesaid objective, has been employing its members in attacking the Security Forces and the Civil Government and killing the innocent citizens in the State of Tripura and indulging in acts of looting, intimidation against the civilian population for recruitment of persons and collection of funds for its organisation;

(iii) which organisation, to achieve its aforesaid objective, has established contacts with and secured assistance by way of arms and training from foreign countries;

(iv) which has by its violent activities, particularly, aimed at killing non-tribals, especially in the Autonomous District Council Areas which are predominantly inhabited by tribals, tried to create ethnic trouble between tribals and non-tribals in Tripura;

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the TNV is an unlawful association;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of its repeated activities which are anti-national, subversive and seditious in character, attacks by armed groups of the aforesaid TNV on the police forces and killing of non-tribals with a view to creating ethnic trouble, immediate action is called for and it is, therefore, necessary to declare the TNV to be unlawful with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Tripura/Tribal National Volunteers to be unlawful association and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that the this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 9/5/85-NE, 1]
R. VASUDEVAN, Jt. Secy. (NE)